

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुधाटो)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 54 वर्ष 2024

आवेदक- बालमुकुंद महतो

क्रेता- फुलेश्वरी देवी

ग्राम- मुरपा (परगना जगेसर) पो०-तिरला

ग्राम- लावालौंग (धुनियाटांड, परगना जगेसर) पो०-तिरला

थाना- जगेश्वर बिहार

जिला-बोकारो

थाना- जगेश्वर बिहार

जिला-बोकारो

आदेश की क्र०सं०

तारीख

01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर

कार्रवाई के

दिप्पणी ता०

03

23/12/24

आदेश

यह वाद आवेदक बालमुकुंद महतो, पिता-स्व० हरिलाल महतो, वर्तमान पता-ग्राम-मुरपा (परगना जगेसर), पो०-तिरला, थाना-जगेश्वर बिहार, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
मुरपा	62	04	308	78 डी०	06 डी०	टांड-II वर्तमान स्वरूप परती

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार) रुपये में क्रेता फुलेश्वरी देवी, पति-साधुलाल महतो, पता-ग्राम-लावालौंग (धुनियाटांड, परगना जगेसर), पो०-तिरला, थाना-जगेश्वर बिहार, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 225/रा०, दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक-483, दिनांक-03.07.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति के कुर्मी (महतो) हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में झबु सिंह वगै० के नाम से दर्ज है तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं०- 157, भौलुम सं०-I पर हरिलाल महतो के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला है।
03. जमाबन्दीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध पिता का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में है।
04. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधग्रहण क्षेत्र से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में झबु सिंह वगै० के नाम से दर्ज है तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं०- 157, भौलुम सं०-I पर हरिलाल महतो के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक निर्गत है। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- केवाला की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति के कुर्मी (महतो) हैं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थानान्तर्गत एवं जिला अन्तर्गत के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो केवाला के आधार पर हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः बालमुकुंद महतो, पिता-स्व० हरिलाल महतो, वर्तमान पता-ग्राम-मुरपा (परगना जगेसर), पो०-तिरला, थाना-जगेश्वर बिहार, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द० सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
मुरपा 62	04	308	0.78 ए०	0.06 ए०	नीज लेख्यकारी	निरंजन महतो	पुरन महतो	हाल रास्ता
कुल				06 डी० (छह डिसमिल जमीन मात्र)				

मौ० 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता फुलेश्वरी देवी, पति-साधुलाल महतो, पता-ग्राम-लावालौंग (धुनियाटांड, परगना जगेसर), पो०-तिरला, थाना-जगेश्वर बिहार, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

0-100
3/10